संख्या-48/2021/1059/22-2-2020-17(421)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2021***

विषय:-जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री गंगा, निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री गंगा, जो लड़िया, थाना-सासनीगेट, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जबरन जमीन हथियाने के विवाद को लेकर दिनांक 02.12.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/1981 में भा0द0वि0 की धारा-147**, 302**/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 03.01.1984 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया**,** जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 00 वर्ष, 09 माह, 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 00 वर्ष, 10 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध का दुष्प्रेरण करने की पूर्ण संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने से समाज में एक सकारात्मक संदेश जायेगा और लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री गंगा द्वारा कारावास में भोगी गयी सजा**,** कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-793/2019) पुत्र श्री गंगा, निवासी जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2021/1059(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in